

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या

12/48/2016

प्रवेश तिथि

09-08-2016

निर्णय दिनांक

25-02-2019

01- शेरिया पुत्र देवीसहाय जाति प्रजापत निवासी ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम, जिला अलवर
राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01- नायब तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार
कोटकासिम दिनांक 21.03.2016 अन्तर्गत धारा
91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या
63/2016

उपस्थित:-

01-श्री दिनेश यादव



-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार कोटकासिम के आदेश दिनांक 21.03.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम गुणसार की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 7-14 बीघा में से 0.03 बिस्वा पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम गुणसार की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 7-14 बीघा में से 0.03 बिस्वा पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 16.02.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 21.03.2016 के विरुद्ध दिनांक 09.08.2016 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी गैर मुमकिन चारागाह दर्ज है जो बंदोबस्त विभाग द्वारा कब्जे व मौके के खिलाफ गलत दर्ज कर दी गयी है जबकि मौके पर विवादित भूमि आबादी के रूप में है। अपीलाण्ट के मकान विवादित भूमि से अलग आबादी के अन्य खसरा नं0 में बने हुए हैं। नायब तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय भी छपे-छपाये साइक्लोस्टाईल प्राफॉर्मा पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर किया गया है। अतः अपील अपीलांट नायब तहसीलदार कोटकासिम को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी की जांच संबंधित गिरदावर से करावे यदि प्रकरण आबादी विस्तार से संबंधित है तो प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर महोदय अलवर को भिजवाया जावे, अन्यथा बेदखली की कार्यवाही की जावे। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 10.04.2019 को नायब तहसीलदार कोटकासिम के न्यायालय में उपस्थित हों। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25-02-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओपी0जैन)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)